Susidy for establishment of industrial parks in private sector

4.2.14 **निजी क्षेत्रों में औद्योगिक पार्क की स्थापना पर अनुदानः**— अधोसंरचना के विकास में निजी क्षेत्रों को प्रोत्साहन देने हेतु प्रदेश में स्थापित होने वाले औद्योगिक पार्क एवं हाइटेक पार्क को विशेष अनुदान उपलब्ध कराया जाएगा। निजी क्षेत्रों द्वारा विकसित किये जानेवाले औद्योगिक पार्क के स्थापना/विकास व्यय की प्रतिपूर्ति 10 प्रतिशत की दर से अधिकतम 1.00 करोड़ रुपये तक दिया जाएगा । बशर्ते कि विकसित होने वाले पार्क में न्यूनतम 100 इकाईयों स्थापित हों एवं इसमें 2500 व्यक्तियों का प्रत्यक्ष सेवा नियोजन हो। यह प्रतिपूर्ति औद्योगिक पार्क में विकास करने वाली संस्था को योजना स्वीकृति के 5 वर्ष की समय सीमा के अंदर उल्लेखित शर्त की पूर्ति होने पर देय होगा।

....